

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.  
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 600020-ए/14

संस्थित दिनांक :- 03/04/2012

मृत वादी बुद्धेराम पुत्र मंशाराम द्वारा वैध प्रतिनिधि :-

01. श्रीमती महादेवी पत्नी स्व.बुद्धेराम।
  02. ओमप्रकाश पुत्र बुद्धेराम।
  03. नरेश पुत्र बुद्धेराम।
  04. पूरन पुत्र बुद्धेराम।
  05. मृत शीलाबाई पुत्री बुद्धेराम द्वारा वैध प्रतिनिधि पुत्र मनीष एवं पुत्रीगण पूनम एवं प्रिया।
  06. गीताबाई पुत्री बुद्धेराम।
- निवासी : वार्ड क्रमांक 02 माता वाला मौहल्ला पशु अस्तपाल के सामने गंज बाजार गोहद, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

----- वादीगण

विरुद्ध

01. नाथूराम पुत्र भवानी, उम्र 66 वर्ष।
  02. रामउदल पुत्र भवानी, उम्र 58 वर्ष।
  03. होतम सिंह पुत्र रामदीन, उम्र 58 वर्ष।
  04. रामेश सिंह पुत्र रामदीन, उम्र 48 वर्ष।
  05. पुत्तन सिंह पुत्र रामदीन, उम्र 36 वर्ष।
- निवासी : वार्ड क्रमांक 02 माता वाला मौहल्ला पशु अस्तपाल के सामने गंज बाजार गोहद, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
06. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिला-कलेक्टर भिण्ड।
  07. श्रीमती बसंती बाई पुत्री भवानी प्रसाद पत्नी किशनलाल बाथम, निवासी :- लाला का बाजार, जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)।

----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 07/03/2018 को घोषित किया}

(01). मृत वादी बुद्धेराम द्वारा यह वाद वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.38 हैक्टेयर में से 0.69 हैक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 831 क्षेत्रफल 1.03 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल 1.20 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम छीमका, जो कि उक्त सर्वे क्रमांकों के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, के

संदर्भ में स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं वादी के पिता मंशाराम द्वारा निष्पादित वादग्रस्त भूमियों के विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 को अधिकारिताविहीन, प्रतिफलविहीन या कपट अथवा मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर निष्पादित कराया गया होने के आधार पर शून्य घोषित कराये जाने के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमियों को निर्णय के आगे की कड़िकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में पूर्व के सर्वे क्रमांक 1115 एवं 1116 से नवीन/वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 818 एवं पूर्व के सर्वे क्रमांक 1189 से नवीन/वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 831 बनाया जाना प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा उनके अभिवचनों में स्वीकृत एक तथ्य है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि ग्राम छीमका के बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 1115 एवं 1116 से मिलकर नवीन सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.38 हैक्टेयर, पूर्व के सर्वे क्रमांक 1189 में से नवीन सर्वे क्रमांक 831 क्षेत्रफल 1.03 हैक्टेयर, पूर्व के सर्वे क्रमांक 1286 एवं 1287 का नवीन सर्वे क्रमांक 1603 बनाया गया। पूर्व के सर्वे क्रमांक 1286 एवं 1287 के 1/2 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी वादी के पिता मंशाराम तथा शेष 1/2 के स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी थे। पूर्व के सर्वे क्रमांक 1116 क्षेत्रफल 06 बीघा 07 विश्वा के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वादी के पिता मंशाराम पक्का कृषक के रूप में एकमेव आधिपत्यधारी थे और भू-राजस्व संहिता लागू होने के पश्चात् उन्हें भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे। इसी प्रकार वादी के पितामह हीरालाल पुराने सर्वे क्रमांक 1189 क्षेत्रफल 05 बीघा 01 विश्वा स्थित ग्राम छीमका के उपकृषक होकर आधिपत्यधारी थे तथा हीरालाल की मृत्यु के पश्चात् सर्वे क्रमांक 1189 पर केवल वादी के पिता मंशाराम का आधिपत्य रहा था। इसलिए मंशाराम ने पक्का कृषक बनने के लिए न्यायालय तहसीलदार गोहद के समक्ष तुलसीराम भोई के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 39/59×38 प्रस्तुत किया था, जो मंशाराम के पक्ष में डिक्री किया गया था और सम्वत् 2016 के राजस्व अभिलेख में मंशाराम को पक्का कृषक के रूप में अंकित किया गया। तत्पश्चात् मंशाराम जीवन पर्यन्त उक्त भूमियों पर आधिपत्यधारी रहे। पूर्व के सर्वे क्रमांक 1286 एवं 1287 के राजस्व अभिलेख में हीरालाल के स्थान पर उनके पुत्र मंशाराम एवं भवानी का नामांतरण हुआ। उक्त सर्वे क्रमांक 1286 एवं 1287 के क्षेत्रफल 03 बीघा 04 विश्वा को प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने अवैध रूप से विक्रय किया है, जबकि उन्हें मात्र 1/2 भाग विक्रय करने का अधिकार था। भूमि सर्वे क्रमांक 818 एवं 831 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के वादी के पिता मंशाराम एकमेव भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी बुद्धेराम उक्त भूमियों के 1/2 भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है, शेष 1/2 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रतिवादी क्रमांक 03 होतम, 04 रमेश एवं 05 पुत्तन पुत्रगण रामदीन है। इस प्रकरण में भूमि सर्वे क्रमांक 818 एवं 831 स्थित ग्राम छीमका

के वादी के 1/2 भाग अर्थात् 1.20 हैक्टेयर, जो कि उक्त दोनों सर्वे क्रमांकों के पश्चिम दिशा में स्थित है, का ही विवाद है।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के शेष अभिवचन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 अथवा उनके पिता भवानी का कोई संबंध नहीं था। भवानी ने गलत रूप से अपना नाम वादग्रस्त भूमियों के 1/2 भाग पर अंकित कराने के लिए तहसील गोहद में प्रकरण क्रमांक 93/62×116 प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में वादी के पिता मंशाराम द्वारा कोई स्वीकृति भवानी के दावे को नहीं दी गई, बल्कि मंशाराम द्वारा उस पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उससे इकबाल दावा धोखा देकर अन्य भूमि के साथ प्रस्तुत कराया गया है, जो कि निरस्त किया जाये। उसके बाद भी कोई राजीनामा वादी के पिता द्वारा नहीं दिया गया। बल्कि फर्जी व्यक्ति खड़ा करके राजीनामा पेश करा दिया गया, जिसकी जानकारी वादी के पिता मंशाराम अथवा वादी को नहीं हुई। उक्त प्रकरण क्रमांक 93/62×116 में किये गये आदेश दिनांक : 15/12/1962 से प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुये। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 होतम, 04 रमेश एवं 05 पुत्तन के पिता रामदीन के पिता मंशाराम की पैतृक सम्पत्ति थी, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 03, 04 एवं 05 को जन्मना हक प्राप्त था। वादी के पिता मंशाराम को अन्य सहदायिकों की सहमति के बिना वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के पिता मंशाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि का कोई विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता अर्थात् मंशाराम के सगे भाई भवानी के पक्ष में कभी भी निष्पादित नहीं किया गया। मंशाराम द्वारा भवानी से ऐसे किसी विक्रय की कोई बातचीत नहीं की गई, कोई विक्रय प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार इस वावत् किया गया वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 भवानी द्वारा मंशाराम को अन्य मौजों की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कराने के बहाने से धोखा देकर निष्पादित कराये जाने के कारण अवैध एवं शून्य है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भवानी ने अवैध रूप मंशाराम या वादी बुद्धेराम को बिना कोई सूचना दिये, पंजी क्रमांक 34 में नामांतरण करा लिया है, जो कि वादी के व्यर्थ एवं प्रभावहीन है। वादी वादग्रस्त भूमि पर अपने भाग पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। विक्रय पत्र दिनांक 20/06/1972 एवं गलत नामांतरण के आधार दिनांक : 20/09/11 को प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने वादी को धमकी दी कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज है, इसलिए वह सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर रहे है। वादी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा छोड़ दे, अन्यथा वादी को खेती नहीं करने देंगे, तब वादी ने सम्वत् 2026 लगायत 2030 की खसरे की नकल दिनांक : 22/09/2011 को प्राप्त की, जिसके पूर्व उसे विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 की कोई जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात् वादी ने विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 की सत्यप्रति दिनांक : 22/02/2012 को प्राप्त की और तब वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी हुई।

(05). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के शेष अभिवचन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि दिनांक : 24/02/2012 को वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 से कहा कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र तुम्हारे पिता भवानी ने हमारे पिता मंशाराम से धोखे से क्यों कराया और वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा मांगा, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने इन्कार कर दिया। अब प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 वादग्रस्त भूमि का शीघ्र ही विक्रय करना चाहते हैं। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाये, विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 को वादी के भाग तक शून्य घोषित किया जाये एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी क्रमांक 34 में आदेश दिनांक : 22/05/1973 को प्रभावहीन घोषित किया जाये एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को स्थाई रूप से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के अधिकारों में कोई अवैध बाधा उत्पन्न ना करें और वादग्रस्त भूमि को अंतरित ना करे।

(06). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण का एक ही परिवार नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति सहदायिक सम्पत्ति नहीं है, इसलिए वादी के पिता मंशाराम को उनकी भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था, उन्हें इस वावत् किसी की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। मंशाराम ने स्वेच्छया वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 भाग प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी को दिनांक : 20/06/1972 को पूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर आधिपत्य प्रदान किया था। तब से उक्त क्यशुदा वादग्रस्त भूमि पर भवानी ने अपने जीवन काल तक मंशाराम एवं उसके पुत्र वादी बुद्धेराम की जानकारी में खेती की थी, भवानी की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 वादी बुद्धेराम की जानकारी में वादग्रस्त भूमि में खेती करते आ रहे हैं। वादी के पिता मंशाराम ने उनके जीवन काल में कभी भी भवानी को या प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को वादग्रस्त भूमि पर कृषि करने से नहीं रोका, ना ही इस वावत् कोई न्यायालयीन कार्यवाही की। यदि मंशाराम ने स्वेच्छया भूमि भवानी को विक्रय ना की होती, तो वह अपने जीवन काल में इस वावत् भवानी के विरुद्ध न्यायालय में अवश्य कार्यवाही करता। वादी ने जान-बूझकर उसके पिता मंशाराम की मृत्यु की तिथि उसके अभिवचनों में दर्शित नहीं की है, ना ही उसने मंशाराम की मृत्यु के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। वर्ष 1972 के उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी एवं भवानी की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विधिवत् नामांतरण का तथ्य वादी की जानकारी में प्रारम्भ से ही है। प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 प्रतिवर्ष भू-राजस्व जमा करते हैं और वादग्रस्त भूमि पर कृषिकार्यरत हैं। कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी

क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी ने ट्रेक्टर खरीदने के लिए वादग्रस्त भूमि को बंधक रख बैंक से ऋण प्राप्त किया था, जो कि किस्तों के रूप में चुकाया जा चुका है। वादी की ओर से प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वामित्व एवं आधिपत्य दर्शित करने वाला कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में अंकित है।

(07). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर में किये गये शेष अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि दिनांक : 20/09/2011 को प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने वादी को कोई धमकी नहीं दी। वादी द्वारा उसके वाद को अवधि अन्दर दर्शित करने के लिए झूठे अभिवचन किये हैं। वादी द्वारा अवधि बाह्य वाद कम मूल्यांकन करते हुये एवं अपर्याप्त न्यायशुल्क चुकाते हुये प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के बाजार मूल्य के हिसाब से इस न्यायालय को हस्तगत वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा कब्जा वापिसी का अनुतोष ना चाहे जाने के कारण उसका वाद धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन अप्रचलनीय है। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(08). प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 की ओर से कोई अधिवक्ता समन की सम्यक तामील होने के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, इसलिये उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 07 ने प्रकरण में उपस्थित होते हुये भी कोई वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(09). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक : 06/10/2015 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरान्त निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या मृत वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.38 हैक्टेयर में से 0.69 है0 तथा सर्वे क्रमांक 831 क्षेत्रफल 1.03 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल 1.20 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम छीमका, के पश्चिमी भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?	“अप्रमाणित”
02.	क्या वादी के पिता मंशाराम द्वारा निष्पादित वादग्रस्त भूमियों का विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972	“अप्रमाणित”

वादग्रस्त भूमि की सीमा तक अधिकारिता विहीन  
या प्रतिफलविहीन या कपट अथवा मिथ्या व्यपदेशन  
के आधार पर निष्पादित कराया गया होने के आधार  
पर शून्य अथवा शून्यकरणीय है?

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 03. | क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप कारित किया गया?            | “अप्रमाणित”   |
| 04. | क्या वादी द्वारा हस्तगत वाद परिसीमा विधि में विहित परिसीमा काल के अन्दर प्रस्तुत किया गया है?  | “अप्रमाणित”   |
| 05. | क्या वादीगण द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?   | “प्रमाणित”  |
| 06. | क्या इस न्यायालय को वाद के विचारण का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?  | “प्रमाणित”  |
| 07. | क्या वादी द्वारा कब्जा वापिसी का अनुतोष ना चाहे जाने के कारण उसका वाद धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के कारण अप्रचलनीय है? | “अप्रमाणित”   |
| 08. | अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?   | वाद निर्णय के पद क्रमांक 28 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया। |

### // निष्कर्ष एवं आधार //

#### वाद प्रश्न क्रमांक : 01 एवं 02

(10). साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से, एक-दूसरे से सहसंबंधित होने के कारण एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

(11). वाद प्रश्नों के संदर्भ में मृत वादी बुद्धेराम के विधिक प्रतिनिधि ओमप्रकाश वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी विन्द्रावन वा.सा.02 एवं साक्षी मुन्नालाल वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उनके मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये

है। वादी ने उसके वाद के समर्थन में नोटिस धारा 80 सीपीसी प्र.पी.01, नोटिस की रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्र.पी.02, खसरा सम्वत् 2010 लगायत 2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, खसरा सम्वत् 2014 लगायत 2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04, खसरा सम्वत् 2019 लगायत 2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05, खसरा सम्वत् 2026 लगायत 2030 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.06, पटवारी मनीष मिश्रा द्वारा प्रदत्त प्रमाणीकरण वावत् रीनम्बरिंग सूची प्र.पी.07, विक्रय पत्र दिनांक 20/06/1972 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08, खसरा सम्वत् 2068 लगायत 2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.09 एवं ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत कार्यालय तहसील गोहद के प्रकरण क्रमांक 39/59 गुणा 38 में नकल के लिए प्रस्तुत रसीद प्र.पी.10 प्रस्तुत की है। प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से प्रतिवादी क्रमांक 01 नाथूराम प्रति.सा.01 एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रति.सा.02 ने उनके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किये हैं, उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिवादी क्रमांक 07 की ओर भी से भी कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

(12). प्रकरण में पूर्व के सर्वे क्रमांक 1115 एवं 1116 से नवीन/वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 818 एवं पूर्व के सर्वे क्रमांक 1189 से नवीन/वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 831 बनाया जाना प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा उनके अभिवचनों में स्वीकृत एक तथ्य है। वादीगण की ओर से इस वावत् रीनम्बरिंग सूची प्र.पी.07 प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह उल्लेख है कि पुराने सर्वे क्रमांक 1115 एवं 1116 से नवीन सर्वे क्रमांक 818 एवं पुराने सर्वे क्रमांक 1189 में से नवीन सर्वे क्रमांक 831 निर्मित किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित पाता हूँ कि पूर्व के सर्वे क्रमांक 1115 एवं 1116 से नवीन/वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 818 एवं पूर्व के सर्वे क्रमांक 1189 से नवीन/वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 831 बनाया गया है।

(13). वाद-पत्र के पद क्रमांक 13 में वादी ने यह अभिवचन किया है कि दिनांक : 24/02/2012 को वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 से कहा कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र तुम्हारे पिता भवानी ने हमारे पिता मंशाराम से धोखे से क्यों कराया। वादी बुद्धेराम के विधिक प्रतिनिधि एवं पुत्र साक्षी ओमप्रकाश वा.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 18 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 वादी की ओर से प्रस्तुत की गई है, वह वादी बुद्धेराम के पिता मंशाराम ने भवानी के पक्ष में निष्पादित किया था। इस प्रकार मृत वादी बुद्धेराम ने उसके वाद-पत्र के पद क्रमांक 13 में एवं वादी बुद्धेराम के पुत्र ओमप्रकाश वा.सा.01 ने बुद्धेराम के पिता मंशाराम द्वारा विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के भवानी के पक्ष में निष्पादन के तथ्य को स्वीकार किया है। परन्तु वादी बुद्धेराम की ओर से धारा 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान की मंशा के अनुरूप उक्त विक्रय पत्र के अधिकारिताविहीन या प्रतिफलविहीन या कपट या मिथ्या व्यपदेशन के

आधार पर निष्पादित कराया गया होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है।

(14). साक्षी ओमप्रकाश वा.सा.01 को उक्त विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 का पृष्ठ क्रमांक 01 दिखाकर पूछे जाने पर उसने व्यक्त किया कि उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से छीमका मौजे की भूमियों का 1/2 वादग्रस्त भाग विक्रय नहीं किया गया। उक्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 के पृष्ठ क्रमांक 02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें यह उल्लेख है कि “विक्रेता मंशाराम बंदोवस्त पूर्व के सर्वे क्रमांक 1116 क्षेत्रफल 06 बीघा 07 विश्वा एवं सर्वे क्रमांक 1189 क्षेत्रफल 5 बीघा 01 विश्वा में से स्वयं का सम्पूर्ण 1/2 भाग विक्रेता भवानी को अन्य भूमियों के साथ 1500/- रुपये प्रतिफल स्वरूप विक्रय कर रहा है और उक्त सम्पूर्ण प्रतिफल 1500/- रुपये उसके द्वारा उपपंजीयक कार्यालय के बाहर क्रेता से प्राप्त कर लिये है और मौके पर विक्रीत भूमि का कब्जा क्रेता को प्रदान कर दिया है। इस प्रकार ओमप्रकाश वा.सा.01 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 को देखकर दिखा गया उक्त उत्तर सत्य एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है। उक्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के माध्यम से मंशाराम द्वारा बंदोवस्त पूर्व के सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 में उसका सम्पूर्ण 1/2 भाग 1500/- रुपये प्रतिफल स्वरूप क्रेता भवानी को विक्रय कर आधिपत्य प्रदान कर दिया था।

(15). वादी द्वारा उसके अभिवचनों में सारतः यह दर्शित किया गया है कि वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 अथवा उनके पिता भवानी का कोई संबंध नहीं था। भवानी ने गलत रूप से अपना नाम वादग्रस्त भूमियों के 1/2 भाग पर अंकित कराने के लिए तहसील गोहद में प्रकरण क्रमांक 93/62×116 प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में वादी के पिता मंशाराम द्वारा कोई स्वीकृति भवानी के दावे को नहीं दी गई, बल्कि मंशाराम द्वारा उस पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उससे इकबाल दावा धोखा देकर अन्य भूमि के साथ प्रस्तुत कराया गया है, जो कि निरस्त किया जाये। उसके बाद भी कोई राजीनामा वादी के पिता द्वारा नहीं दिया गया। बल्कि फर्जी व्यक्ति खड़ा करके राजीनामा पेश करा दिया गया, जिसकी जानकारी वादी के पिता मंशाराम अथवा वादी को नहीं हुई। उक्त प्रकरण क्रमांक 93/62×116 में किये गये आदेश दिनांक 15/12/1962 से प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुये। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 15 में ओमप्रकाश वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 पर तहसील से प्रकरण क्रमांक 93/62/116 से उक्त सर्वे क्रमांकों की आधी भूमि भवानी एवं शेष आधी भूमि मंशाराम को प्राप्त हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि तहसील के उक्त प्रकरण क्रमांक में उक्त भूमियों के 1/2 भाग पर भवानी का नाम अंकित किये जाने के संबंध में मंशाराम ने सहमति दी थी। साक्षी ने स्वतः कहा है कि



मंशाराम ने इस वावत् आपत्ति की थी। वादी यदि चाहता तो मंशाराम द्वारा की गई ऐसी किसी आपत्ति की प्रमाणित प्रतिलिपि हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत कर सकता था, जो कि उसके द्वारा नहीं की गई। वादी की ओर से उसके लिखित साक्ष्य से कहीं पर भी यह प्रमाणित नहीं किया गया कि उसके बाद भी कोई राजीनामा वादी के पिता मंशाराम द्वारा नहीं किया गया, बल्कि फर्जी व्यक्ति खड़ा करके राजीनामा पेश करा दिया गया, जिसकी जानकारी वादी के पिता मंशाराम अथवा वादी को नहीं हुई।

(16). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 15 में ओमप्रकाश वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि वर्ष 1962 से 1972 तक सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 के आधे-आधे भाग पर मंशाराम एवं भवानी खेती करते रहे थे। साक्षी ने स्वतः कहा है कि पूरे भाग पर मंशाराम खेती करते रहे थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 16 में ओमप्रकाश वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने या उसके पिता बुद्धेराम ने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह दर्शित होता हो कि वर्ष 1962 से 1972 तक मंशाराम या बुद्धेराम ने सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 का कोई लगान अदा किया हो। वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2019 लगायत 2023 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05 में कॉलम नम्बर 12 में इस तथ्य का उल्लेख है कि प्रकरण क्रमांक 93/62×116 में किये गये आदेश दिनांक : 15/12/1962 के पालन में सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 पर भवानी एवं मंशाराम का नाम पक्का कृषक के रूप में अंकित किया जाता है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2026 लगायत 2030 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में वादी बुद्धेराम के पिता मंशाराम एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी का नाम वादग्रस्त भूमियों के 1/2-1/2 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में अंकित है। उक्त सम्वत् 2026 लगायत 2030 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि के कॉलम नम्बर 20 में इस तथ्य का उल्लेख है कि मंशाराम के 1/2 भाग पर भवानी पुत्र हीरालाल का नाम प्रविष्ट किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों से यह प्रकट होता है कि वर्ष 1962 से उक्त वादग्रस्त भूमियों के राजस्व अभिलेख में वादी बुद्धेराम के पिता मंशाराम का नाम वादग्रस्त भूमियों के केवल 1/2 भाग पर दर्ज था और वर्ष 1972 के विक्रय पत्र के पश्चात् मंशाराम का नाम उक्त वादग्रस्त भूमियों के शेष 1/2 से विलोपित होकर केवल प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी का नाम दर्ज हो गया। यदि वर्ष 1962 से 1972 के मध्य मंशाराम या बुद्धेराम का नाम सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 के 1/2 भाग पर और वर्ष 1972 के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमियों के किसी भी भाग पर राजस्व अभिलेख में अंकित होता या उनके द्वारा उक्त सर्वे क्रमांकों का कोई लगान अदा किया होता, तो निश्चय ही वादी की ओर से इस वावत् संबंधित राजस्व अभिलेख या लगान की रसीदें प्रकरण में अवश्य प्रस्तुत की जाती।

(17). विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 08 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त विक्रय पत्र के पृष्ठ क्रमांक 01 पर विक्रेता मंशाराम ने ग्राम छीमका स्थित वादग्रस्त भूमियों में स्वयं का 1/2 भाग होना तथा पृष्ठ क्रमांक 02 पर ग्राम छीमका स्थित सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 में स्वयं का 1/2 भाग होना दर्शित किया है। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र में स्वयं विक्रेता मंशाराम ने स्वयं को ग्राम छीमका स्थित सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 के सम्पूर्ण भाग का स्वयं को भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी दर्शित नहीं किया है, बल्कि केवल 1/2 भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना दर्शित किया है। इस प्रकार यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि विक्रेता मंशाराम किसी कालावधि में उक्त सर्वे क्रमांक 1116 एवं 1189 के सम्पूर्ण भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी था भी, तब भी विक्रेता पत्र दिनांक : 20/06/1972 में उक्त सर्वे क्रमांकों की भूमियों के केवल 1/2 भाग का स्वयं को स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना दर्शित करना, मंशाराम द्वारा उक्त भूमियों के शेष 1/2 भाग के संबंध में स्वयं के अधिकार के अधित्यजन की कोटि में आता है।

(18). वादी द्वारा उसके अभिवचनों में वादग्रस्त भूमि को सहदायिक सम्पत्ति होना दर्शित करते हुये मंशाराम के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के निष्पादन को अधिकारिताविहीन होना दर्शित करते हुये चुनौती दी है, परन्तु वादी द्वारा दर्शित नहीं किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्तियाँ किन-किन व्यक्तियों के मध्य सहदायिक सम्पत्ति थी और उन सहदायिकों की वादग्रस्त सम्पत्तियों के अलावा और कौन-कौन सी अचल सम्पत्तियाँ थी। वादी द्वारा यह भी दर्शित नहीं किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्तियों में किन-किन सहदायिकों का कितना-कितना हित था। वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2019 लगायत 2023 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 05 एवं सम्वत् 2026 लगायत 2030 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि में केवल वादी के पिता मंशाराम एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी का नाम वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में अंकित है, किन्हीं अन्य सहदायिकों का नाम नहीं, इसलिए भी वादग्रस्त भूमि सहदायिक सम्पत्ति होना दर्शित नहीं होती है। वैसे भी विधितः एक सहदायिक अन्य सहदायिकों की सहमति के बिना किसी सम्पत्ति में स्वयं के हिस्से की सीमा तक विक्रय पत्र निष्पादन करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 को मंशाराम द्वारा अधिकारिताविहीन रूप से निष्पादित किया गया होना प्रमाणित नहीं पाता हूँ।

(19). वादी की ओर से सम्वत् 2030 अर्थात् वर्ष 1973 से सम्वत् 2068 अर्थात् वर्ष 2012 के मध्य के वादग्रस्त भूमियों के ऐसे किसी राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, जिसमें वादी बुद्धेराम या उसके पिता मंशाराम का नाम वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण भाग अथवा 1/2 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज हो। वादी की ओर से प्रस्तुत

वादग्रस्त भूमि के सम्बत् 2068 लगायत 2072 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.09 में प्रतिवादी क्रमांक 01 नाथूराम एवं 02 रामउदल का नाम वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण भाग के सहस्वामी के रूप में दर्ज है। यदि वादी या उसका पिता मंशाराम दिनांक : 20/06/1972 के विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात् भी वादग्रस्त भूमियों पर आधिपत्यधारी रहे होते और उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का भू-राजस्व अदा किया गया होता, तो वर्ष 1972 से वर्तमान के राजस्व अभिलेखों में किसी में उनका नाम वादग्रस्त भूमि के आधिपत्यधारी के रूप में अवश्य ही दर्ज होता। उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि वादी बुद्धेराम या उसका पिता मंशाराम विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के निष्पादन के पश्चात् से ही वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्यधारी नहीं है।

(20). वादी बुद्धेराम द्वारा उसके पिता मंशाराम की मृत्यु की तिथि वाद-पत्र या साक्ष्य में कहीं पर भी दर्शित नहीं की गई है। वादी द्वारा यह भी दर्शित नहीं किया गया कि जब उसके अनुसार वादग्रस्त भूमियों पर उसका पिता मंशाराम स्वामी एवं आधिपत्यधारी था, तब मंशाराम की मृत्यु के पश्चात् वादी बुद्धेराम ने वादग्रस्त भूमियों की राजस्व अभिलेख में स्वयं का फौती नामांतरण कराने का कोई प्रयास किया गया, अथवा नहीं और यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। उक्त तथ्य भी विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के निष्पादन के पश्चात् से वादग्रस्त भूमियों पर वादी बुद्धेराम या उसके पिता मंशाराम के आधिपत्य ना होने के तथ्य को दर्शित करते हैं।

(21). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि मृत वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.38 हैक्टेयर में से 0.69 हैक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 831 क्षेत्रफल 1.03 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल 1.20 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम छीमका, के पश्चिमी भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष "अप्रमाणित" के रूप में दिया जाता है। वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी के पिता मंशाराम द्वारा निष्पादित वादग्रस्त भूमियों का विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 वादग्रस्त भूमि की सीमा तक अधिकारिता विहीन या प्रतिफलविहीन या कपट अथवा मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर निष्पादित कराया गया होने के आधार पर शून्य अथवा शून्यकरणीय है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष "अप्रमाणित" के रूप में दिया जाता है।

### वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(22). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के निष्कर्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में वादी का कोई हित निहित होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के किन्हीं हितों में अवैध हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न

नहीं होता है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक : 04**

(23). प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने उसके वादोत्तर के पद क्रमांक 15 एवं अन्य पद क्रमांकों में सारतः यह अभिवचन किया है कि दिनांक 22/02/2012 एवं 24/02/2012 को वादी को प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के निष्पादन के पश्चात् से एवं भवानी की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 वादग्रस्त भूमि पर विगत लगभग 40 वर्षों से आधिपत्यधारी है, इसलिए वाद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वादी का वाद परिसीमा विधि के प्रावधानों से बाधित है। इस वावत् ओमप्रकाश वा.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 19 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक : 20/06/1972 के विक्रय पत्र प्र.पी.08 में ग्राम छीमका की वादग्रस्त भूमियों के उल्लेख होने के विरुद्ध उसके द्वारा या उसके पिता वादी बुद्धेराम द्वारा या बुद्धेराम के पिता मंशाराम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्वतः कहा कि क्योंकि हमारा कब्जा है, इसलिए नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के निष्पादन के पश्चात् से वादग्रस्त भूमि पर वादी का या उसके पिता मंशाराम का कब्जा होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसलिए ओमप्रकाश वा.सा.01 द्वारा दर्शित यह तथ्य सत्य एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा होने के कारण उनके द्वारा वर्ष 1972 से इस वावत् कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई थी।

(24). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 20 में ओमप्रकाश वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि बुद्धेराम को वर्ष 1972 से ही विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात् से ही यह जानकारी थी कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मंशाराम द्वारा भवानी के पक्ष में विक्रय की गई है। चूँकि ओमप्रकाश वा.सा.01 के प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 18 के अनुसार उसने विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 मंशाराम द्वारा भवानी के पक्ष में निष्पादित किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है और वाद प्रश्न क्रमांक 02 के निष्कर्ष के अनुसार वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 20/06/1972 भवानी द्वारा मंशाराम से प्रतिफलविहीन रूप से या कपटपूर्वक या मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर या अधिकारिताविहीन रूप से निष्पादित कराया गया था, तो ऐसी दशा में यह प्रमाणित पाता हूँ कि विक्रेता मंशाराम को विक्रय पत्र दिनांक : 20/06/1972 के निष्पादन के समय से ही उसके द्वारा उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन का तथ्य एवं उक्त विक्रय पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि का

आधिपत्य केता भवानी को प्रदान किये जाने का तथ्य ज्ञात था और इस प्रकार परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक 65 के अनुसार दिनांक 20/06/1972 को ही प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पिता भवानी का कब्जा, वादी के पिता मंशाराम के प्रतिकूल हो गया था और उक्त प्रविष्टि क्रमांक 65 के प्रावधान के अनुसार दिनांक : 20/06/1972 से 12 वर्ष के भीतर मंशाराम को भवानी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। परन्तु मंशाराम द्वारा 12 वर्ष की उक्त कालावधि में भवानी या उसके पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध इस वावत् कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि मंशाराम एवं भवानी की मृत्यु के पश्चात्, मंशाराम के पुत्र वादी बुद्धेराम वर्ष 1972 से लगभग 40 वर्ष पश्चात् दिनांक : 02/04/2012 को हस्तगत वाद भवानी के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 01 नाथूराम एवं 02 रामउदल एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जो स्पष्ट रूप से परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 65 में विहित परिसीमा काल के पश्चात् प्रस्तुत किया गया होना दर्शित होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 05**

(25). हस्तगत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उसके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन वादग्रस्त भूमि के वार्षिक लगान 25/- रुपये के बीस गुना अर्थात् 500/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 600/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त एवं उचित है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 06**

(26). प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने उनके वादोत्तर में वादग्रस्त भूमि के बाजार मूल्य अधिक होना दर्शित करते हुए इस न्यायालय को हस्तगत वाद के विचारण का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त ना होने का अभिवचन किया है। परन्तु वाद प्रश्न क्रमांक 05 के निष्कर्ष के अनुसार वादी द्वारा किये गये वाद मूल्यांकन 500 रुपये को समुचित प्रमाणित माना गया है और वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिसके संबंध में विवाद की दशा में वाद मूल्यांकन उसके भू-राजस्व के 20 गुना के अनुसार किया जाता है, ना कि उसके बाजार मूल्य के अनुसार। इस वावत् यह भी उल्लेखनीय है कि विधि अनुसार एवं माननीय

जिला न्यायाधीश महोदय भिण्ड के कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार इस न्यायालय को 5,00,000/- रुपये तक के वाद मूल्य के वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि इस न्यायालय को हस्तगत वाद के विचारण का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 07**

(27). इस वाद प्रश्न के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा स्वयं को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी होना दर्शित करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उसे आधिपत्य वापसी की सहायता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः वादी द्वारा कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण उसका वाद अप्रचलनीय नहीं है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

#### **{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }**

(28). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि मृत वादी बुद्धेराम उसका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

(29). वादी स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेंगे।

(30). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

(31). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.